

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 09.08.2025

गैंग बनाकर डाकघर का फर्जी एजेंट बनकर धोखाधड़ी, जालसाजी करने वाले 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष एम्स द्वारा गैंग लीडर सुमन देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार निवासी लालगंज गायत्रीनगर झरनाटोला थाना एम्स जनपद गोरखपुर व गैंग के अन्य सदस्य शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रामराज निवासी लालगंज गायत्रीनगर झरनाटोला थाना एम्स जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर डाकघर का एजेंट बनकर लोगों को विश्वास में लेकर उनसे पैसे ले लेना तथा डाकघर में धोखाधड़ी कर पैसा जमा न करने एवं लोगों द्वारा अपने रुपये वापस माँगने पर फर्जी मुकदमें में फँसाने की धमकी दिये जाने जैसे अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं पैसा हड़पने जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर सुमन देवी व गैंग के अन्य सदस्य के विरुद्ध थाना एम्स पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु०अ०सं० 292/25 धारा 2(ख)(I) (XI)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर डाकघर का एजेंट बनकर लोगों को विश्वास में लेकर उनसे पैसे ले लेना तथा डाकघर में धोखाधड़ी कर पैसा जमा न करने एवं लोगों द्वारा अपने रुपये वापस माँगने पर फर्जी मुकदमें में फँसाने की धमकी दिया जाता है, जिसके संबंध में थाना एम्स पर मु०अ०सं० 310/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि तथा मु०अ०सं० 287/2023 धारा 406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 292/25 धारा 2(ख)(I)(XI)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना एम्स जनपद गोरखपुर

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. (गैंग लीडर) सुमन देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार निवासी लालगंज गायत्रीनगर झरनाटोला थाना एम्स जनपद गोरखपुर

- मु०अ०सं० 352/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506 भादवि० थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 587/2023 धारा 406, 506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 588/2023 धारा 406, 506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 88/2023 धारा 504, 406, 420 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 310/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 287/2023 धारा 406/504/506 भादवि थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 352/2023 धारा 419/420/467/468/471/406/506 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

2. (गैंग सदस्य) शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रामराज निवासी लालगंज गायत्रीनगर झरनाटोला थाना एम्स जनपद गोरखपुर

- मु०अ०सं० 352/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506 भादवि० थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 88/2023 धारा 504, 406, 420 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 310/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 287/2023 धारा 406/504/506 भादवि थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
- मु०अ०सं० 12/2024 धारा 506 भादवि थाना एम्स, जनपद गोरखपुर